प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद स0 : 813 सन 2021
अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र लादूराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र लादूराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
2. लादुराम पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 29.10.2021

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 168/164 की कुल 1.8970हैक्ट खाता संख्या 167/163 की कुल 9.2720हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों 1/3 –1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बालुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्र लादुराम पुत्र बालुराम के नाम से दर्ज हुई थी एवं पैतृक भूमि होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों के नाम बहिय राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो भाई है प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है तथा परिवारिक बटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे किया जाकर दुसरे गावं/खाते की भूमि में अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि रख ली है वादी एवं प्रतियादी संख्या 1 बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि विरास्तन से उनके पूर्वजो के देहान्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि अन्य भूमियो की तरह विरास्तन से प्राप्त हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात भाई एव पिता है जिन्होने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है बाहमी बटवारा में प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जाकर दुसरे खाते में भूमि रखी जा गई है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 168/164 की कुल 1.8970हैक खाता संख्या 167/163 की कुल 9.2720हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो 1/3 -1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज बालूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात पिता पुत्र है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हको का त्याग कर अन्य खाते में भूमि रखी ली है वादी के कथनों को प्रतिवीद संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा जोखासर खाता संख्या 167/163 की कुल 9.2720हैक में वादी अकेला 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिसस्सा के एवं के खाता संख्या 168/164 की कुल 1.8970हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर.

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र लादूराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गोपीराम पुत्र लादूराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
2. लादुराम पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 813 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर खाता संख्या 167/163 की कुल 9.2720हैव में वादी अकेला 1/2 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा के एवं के खाता संख्या 168/164 की कुल 1. 8970हैव भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर

Scanned with CamScanner